न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 187/2016

1 सावित्री पुत्री सोहनराम पत्नी रामेश्वर जाति अहीर निवासी लाखू तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी नांगल मोहनपुर तहसील कनीना जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
2 रेशमा पुत्री सोहनराम पत्नी मोहलड़राम।
3 संतोष पुत्री सोहनराम पत्नी महावीर समस्त जाति अहीर निवासीगण लाखू तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी श्यामपुरा तहसील लुहारू जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा। दौराने अपील मृत्यु।
3/1 अशोक कुमार पुत्र श्रीमती संतोष व महावीर जाति अहीर निवासी श्यामपुरा तहसील लुहारू जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
3/2 अनिता पत्नी सरजीत पुत्री श्रीमती संतोष व महावीर जाति अहीर निवासी श्यामपुरा तहसील लुहारू जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा हाल निवासी लालसिंह कॉलोनी राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर।
4 कमला पुत्री सोहनराम पत्नी महावीर जाति अहीर निवासी लाखू तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी नांगल मोहनपुर तहसील कनीना जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

अपीलांट

बनाम

1 महताब पुत्र सोहनराम।
1/1 चमेली देवी पत्नी महताब समस्त जाति अहीर निवासीगण लाखू तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

1/2 राजेश पुत्री महताब पत्नी धर्मवीर जाति अहीर निवासी लाखू तहसील सूरजगढ़ जिला झुझुनू हाल निवासी रसूलपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
1/3 सुमन पुत्री महताब पत्नी जोगेन्द्र।
1/4 सिलोचना पुत्री महताब पत्नी विक्रम समस्त जाति अहीर निवासीगण लाखू तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी खायरा तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
2 रामवतार पुत्र सोहनराम जाति अहीर निवासी लाखू तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2016 उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ बउनवानी सावित्री आदि बनाम महताब सिंह आदि सं. 247/2010

उपस्थिति :

1. श्री संदीप बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अजय स्वामी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 6·5·24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 247/2010 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम लाखू की भूमि खसरा नम्बर 132, 270, 271, 272, 273 बाबत घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रकरण तनकी कायम करने हेतु नियत था। रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी नं. 1 महताब सिंह की ओर से दिनांक 21.03.2016 को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया, क्योंकि प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2010 को रद्द करवाने का हवाला दिया है जबकि अपीलान्ट/वादीगण ने कोई निर्णय एवं डिक्री रद्द करवाने बाबत इस दावे में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया, बल्कि उक्त काश्त की भूमि में उक्त दावा एवं डिक्री वादीगण के खातेदारी हक अधिकारों पर बेअसर है का अनुतोष चाहा गया है। जिसमें अपीलान्ट/वादीगण पक्षकार भी नहीं थे, जिनको अपने खातेदारी हक अधिकारों की रक्षार्थ दावा लाने का अधिकार प्राप्त है। इस कारण रेस्पोडेन्ट नं. 1/प्रतिवादी महताब सिंह द्वारा पेश शुदा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अनुसार कोई कानूनन प्रावधान नहीं है तथा अपीलान्ट/वादीगण की शादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने से पूर्व का तथ्य दर्ज किया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी नं. 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी चलने के काबिल नहीं था, जिसका जवाब अपीलान्ट/वादीगण ने दिनांक 03.05.2016 को पेश किया गया तथा अपीलान्ट/वादीगण की ओर से लिखित प्रतिवेदन दिनांक 30.05.2016 को 8 कानूनी नजीरो सहित पेश की गई, जो प्राथना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में तथ्य एवं कानून मिश्रित है, इस कारण आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य था। परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जवाब प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस पर एवं पेशशुदा कानूनों पर गौर न फरमाकर अपीलान्ट/वादीगण का दावा खारिज फरमा दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट/वादीगण पक्षकार भी नहीं थे, जिनको अपने खातेदारी हक अधिकारों की रक्षार्थ दावा लाने का अधिकार प्राप्त है। इस कारण रेस्पोडेन्ट नं. 1/प्रतिवादी महताब सिंह द्वारा पेश शुदा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अनुसार कोई कानूनन प्रावधान नहीं है तथा अपीलान्ट/वादीगण की शादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने से पूर्व का तथ्य दर्ज किया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी नं. 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी चलने के काबिल नहीं था, जिसका जवाब अपीलान्ट/वादीगण ने दिनांक 03.05.2016 को पेश किया गया तथा अपीलान्ट/वादीगण की ओर से लिखित प्रतिवेदन दिनांक 30.05.2016 को 8 कानूनी नजीरो सहित पेश की गई, जो प्राथना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में तथ्य एवं कानून मिश्रित है, इस कारण आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य था। परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त जवाब प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस पर एवं पेशशुदा कानूनों पर गौर न फरमाकर अपीलान्ट/वादीगण का दावा खारिज फरमा दिया गया। उक्त मिसल विचारण न्यायालय में कायमी तनकीयात में चल रही थी, परन्तु रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी नं. 1 ने गैर कानूनी रूप से एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का दिनांक 21.03.2016 को पेश किया गया, जिसमें अपीलान्टस/वादीगण ने पूर्णरूप से जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी कानून के विपरित है। विचारण न्यायालय को कायमी तनकीयात कायम कर साक्ष्य पक्षकारान ली जाकर प्रत्येक तनकीयात के आधार निर्णय एवं डिक्री पारित करनी चाहिये थी, इस कारण भी विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2016 खारिज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(झुन्झुनू)

होने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2016 बउनवानी सावित्री वगैरह बना महताब सिंह वगैरह, मुकदमा नम्बर 247/2010 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्टस की विधि अनुकूल तनकियात कायम कर एवं साक्ष्य ली जाकर तनकीयात एवं मैरिट के आधार पर निर्णय के निर्देश के साथ प्रकरण रिमांड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2022(1) एससी पेज 1, आरआरटी 2022(1) रेव पेज 231, आरआरटी 2022(1)रेव पेज 234, आरआरटी 2022(1) रेव पेज 518, आरआरटी 2022(1) रेव पेज 265, आरआरटी 2022–23 (सप्ली.) रेव पेज 330, आरआरटी 2022(2) रेव पेज 1188, आरआरटी 2023(1) रेव पेज 648 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादीगण ने ग्राम लाखू स्थित कृषि भूमियां खसरा नम्बर 132 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 260 रकबा 3.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 261 रकबा 4.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 262 रकबा 3.20 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 8.37 हैक्टर की बाबत पूर्व में चले मुकदमा उनवानी महताब बनाम सोहनराम आदि मु.नं. 115/2003 के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.2006 व उसके आधार पर भरा गया नामान्तकरण संख्या 222 दिनांक 11.08.2009 को खारिज करने व एक दूसरा मुकदमा इन्ही वादग्रस्त आराजियात बाबत मुकदमा उनवानी महताब बनाम रामौतार आदि मुकदमा नम्बर 232/2009 के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2010 को रद्द करवाने बाबत तथा वादग्रस्त जमीनात में वादीगण का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा घोषित करवाने बाबत पेश किया है। उक्त दोनो मुकदमों मुकदमा नं. 115/2003 व मु. नं. 232/2009 विचारण न्यायालय में दायर कर समस्त विधिक प्रक्रिया अपनाकर उक्त दोनों दावे विचारण न्यायालय में डिक्री किये है और उक्त डिक्रियों की पालना होकर वादग्रस्त आराजियात का राजस्व अभिलेख में विभाजन हो चुका है और प्रतिवादी नं. 1 जमीन जैर बहस खसरा नम्बर 345/132 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 346/270 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

04 हैक्टर, खसरा नम्बर 272 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 273 रकबा 3.20 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 4.19 हैक्टर का अकेला खातेदार हो गया और राजस्व अभिलेख में भी उक्त आराजियात प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज होकर अलग से लगान कायम कर दिया गया। विचारण न्यायालय के मु.नं. 115/2003 के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.2006 को वादीगण को विचारण न्यायालय से लन एण्ड वाईड व रद्द करवाने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि वादीगण उक्त निर्णय व डिक्री को सक्षम न्यायालय में अपील करके ही डिक्री को अपास्त करवा सकते है, इस कारण वादीगण के पास उक्त निर्णय व डिक्री को अपास्त करवाने का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, जहां वैकल्पिक उपचार वादीगण के पास अपील का उपलब्ध है तो कानूनन वादीगण का यह वादी पोषणीय नहीं है और वादीगण का वाद बार्ड बाई ला होने से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के मुकदमा नम्बर 232/2009 के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2010 को भी अपास्त करवाने के लिए वादीगण को सक्षम न्यायालय में अपील करनी होगी कानूनन विचारण न्यायालय को उक्त डिक्री को अपास्त करने का अधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजियात का विभाजन प्रतिवादी नं. 1 के पिता सोहन के जीवनकाल में आज से करीब 40 वर्ष पूर्व हो गया था और प्रतिवादी नं. 1 वादग्रस्त आराजियात के अपने हिस्से को टिनेन्ट ही गया था, इस कारण से भी वादीगण का यह वाद 40 वर्ष पूर्व विभाजन होने से पोषणीय नहीं है। वादीगण की शादियां भी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व हो गई थी और वादीगण की ससुराल की कृषि भूमियों की वादीगण अपने पतियों के साथ टिनेन्सी राईट्स प्राप्त कर लिये है। इस कारण से वर्तमान स्थिति में वादीगण का वाद पोषणीय नहीं होने से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। वादग्रस्त आराजियात का जब एक वाद सक्षम न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर व साक्ष्य लेकर विधिवत रूप से विभाजन कर दिया गया है तो फिर उन्हीं आराजियात का पुनः विभाजन का दावा मैनटेनेबल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नहीं है और बार्ड बाई लॉ होने से काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलांट ने ग्राम लाखू स्थित कृषि भूमियां खसरा नम्बर 132 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 260 रकबा 3.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 261 रकबा 4.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 262 रकबा 3.20 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 8.37 हैक्टर की बाबत पूर्व में चले मुकदमा उनवानी महताब बनाम सोहनराम आदि मु.नं. 115/2003 के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.2006 व उसके आधार पर भरा गया नामान्तकरण संख्या 222 दिनांक 11.08.2009 को खारिज करने व एक दूसरा मुकदमा इन्ही वादग्रस्त आराजियात बाबत मुकदमा उनवानी महताब बनाम रामौतार आदि मुकदमा नम्बर 232/2009 के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2010 को रद्द करवाने बाबत तथा वादग्रस्त जमीनात में वादीगण का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा घोषित करवाने बाबत पेश किया है। उक्त दोनो मुकदमों मुकदमा नं. 115/2003 व मु. नं. 232/2009 विचारण न्यायालय में दायर कर समस्त विधिक प्रकिया अपनाकर उक्त दोनों दावे विचारण न्यायालय में डिक्री किये है और उक्त डिक्रियों की पालना होकर वादग्रस्त आराजियात का राजस्व अभिलेख में विभाजन हो चुका है और प्रतिवादी नं. 1 जमीन जैर बहस खसरा नम्बर 345/132 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 346/270 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 272 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 273 रकबा 3.20 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 4.19 हैक्टर का अकेला खातेदार हो गया और राजस्व अभिलेख में भी उक्त आराजियात प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज होकर अलग से लगान कायम कर दिया गया। विचारण न्यायालय के मु.नं. 115/2003 के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.2006 को वादीगण को विचारण न्यायालय से नल एण्ड वॉईड व रद्द करवाने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि वादीगण उक्त निर्णय व डिक्री को सक्षम न्यायालय में अपील करके ही डिक्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

को अपास्त करवा सकते है, इस कारण वादीगण के पास उक्त निर्णय व डिक्री को अपास्त करवाने का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, जहां वैकल्पिक उपचार वादीगण के पास अपील का उपलब्ध है तो कानूनन वादीगण का यह वाद पोषणीय नहीं है और वादीगण का वाद बार्ड बाई ला होने से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के मुकदमा नम्बर 232/2009 के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2010 को भी अपास्त करवाने के लिए वादीगण को सक्षम न्यायालय में अपील करनी होगी कानूनन विचारण न्यायालय को उक्त डिक्री को अपास्त करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर